

दिशा निर्देश :

1. उपरोक्त दोनों मदों में एक किसान को अधिकतम 2 हैक्टेयर का लाभ दिया जाएगा।
2. किसान उपरोक्त मदों के प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री भूमि सुधार विकास निगम/हरियाणा बीज विकास निगम/सरकारी या अर्ध सरकारी या सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।